सं. पीसी(पी)19/प्रशासन/आर.ओ./2003-प.घा.स.
भारत सरकार
पश्चिमी घाट सचिवालय
(योजना आयोग)

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक ~~नवम्बर,~~ 2009.
9 दिसम्बर

रिक्ति परिपत्र

विषयः पश्चिमी घाट सचिवालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती ।

योजना आयोग, नई दिल्ली के पश्चिमी घाट सचिवालय में 5400/- रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 3: 15600-39100 (8000-275-13500 रू. के संशोधन पूर्व वेतन मान) में अनुसंधान अधिकारी का एक पद को भरने का प्रस्ताव है । उक्त पद गैर-संवर्ग पद है और चुने गए अधिकारी आरंभ में एक वर्ष की अवधी के लिए नियुक्ति किए जाएगे ओर नियुक्ति की अवधी को सामान्यतया तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । चुने गए अधिकारी को तुरन्त पदभार संभालना होगा । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी को उक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के तहत, अपने मूल पद का वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता अथवा अनुसंधान अधिकारी के पद के वेतन बैण्ड में वेतन पाने का विकल्प मिलेगा ।

2, उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ, योग्यताएँ और पद से संबद्ध कार्य निम्नवत होंगे :

शैक्षणिक अर्हताएँ

अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी/ गणित/ समाजिक विज्ञान में डिग्री और योजना के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव ।

योग्यताएँ और अनुभव

केन्द्र / राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे अधिकारी जो -

(क) समकक्ष के पद पर नियमित रुप से कार्यरत हे,
(ख) 4200 रू से 4800 रू तक के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 2: 9300-34800 रू में पाँच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो

पद से संबद्ध कार्य

(क) पश्चिमी घाट कार्यक्रमों में समय-समय पर सुथार लाना तथा चयनित मूल्यांकन अध्ययनों का कार्य करना ।
(ख) कार्यक्रम के विभिन्न पहलूओं का पुनश्चरण तथा अध्ययनों का संचालन करना ।

3. अनुरोध किया जाता है कि इस रिक्ति परिपत्र में सूचित अर्हताओं को पूरा करने वाले केन्द्र/ राज्य सरकारों के उपयुक्त अधिकारियों के नामों को अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाए ।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयूसीमा 56 वर्ष है जो कि आवेदन प्राप्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित होगी ।

5. उन अधिकारियों के आवेदनों को जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना के बाद तुरन्त कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता हो, संलग्न प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन, उम्मीदवार के संबंध में सतर्कता प्रमाण पत्र तथा पिछले पाँच वर्षो के गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रति के साथ उचित माध्यम द्वार अधोहस्ताक्षरी को इस परिपत्र के जारी की तिथी से 45 दिन के अन्दर भेजा जाए । इस बात का ध्यान रखा जाए की केवल ऐसे अधिकारियों के आवेदन भेजे जाए जिन्हें चयन की सूचना के बाद तुरन्त कार्यमुक्त किया जा सकता हो ।

इन्दु पटनायक

[डा. (श्रीमती) इन्दू पटनायक]
उप सलाहकार (एम.एल.पी.)

प्रतिलिपिः

1. योजना आयोग के सभी प्रभाग ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
3. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ।
4. महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडू सरकार, केरला सरकार, गोवा सरकार के **योजना सचिव और** कर्नाटका सकरार के जन संपर्क एवं ग्रमीण विकास सचिव **और** असाम सरकार के विकास सचिव ।
5. निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
6. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (आई.एस.एस. अनुभाग), सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली ।

इन्दु पटनायक

[डा. (श्रीमती) इन्दू पटनायक]
उप सलाहकार (एम.एल.पी.)

अनुबंध

1. नाम (ब्लॉक अक्षरों में) :

2 जन्म तिथि (अंग्रेजी कैलेन्डर के हिसाब सं) :

3. यथा प्रयोज्य नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति की तिथि :

4. यदि किसी व्यवस्थित सेवा से संबद्ध हैं, तो उसका नाम :

5. वर्तमान में धारित पद, पदनाम, पै बैण्ड, वेतन तथा ग्रेड पे :

6. कैडर नियंत्रण अधिकारी का नाम व पता :

7. शैक्षिक अर्हताएँ :

क्रमांक	डिग्री	विश्वविद्यालय	वर्ष	डिविजन	विषय

8. प्रशिक्षण :

क्रमांक	संस्था	कोर्स का नाम	से	तक

9. (वर्तमान में धारित पद से आरम्भ करते हुए) सेवा काल के दौरान धारित पदों का ब्यौरा :

क्रमांक	पद / पदों के नाम	वेतन मान/ वेतन बैण्ड, वेतन एवं ग्रैड पे	से	तक	कार्य स्वभाव

10. चयन क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव का विवरण :

11. प्रचुरित कार्य :

12. (क) पिनकोड सहित वर्तमान पता
(ख) कार्यालय एवं घर का दूरभाष

13. क्या अनुसूचित जाती / अनुसीचित जनजाती के है?

14. कोई अन्य संबंधित सूचना :

तिथीः (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

कार्यालय के प्रयोग हेतु

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में भरी गई सूचना का परीक्षण किया गया तथा सही पई गई है ।
2. उम्मीदवार के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला नई है ।
3. उम्मीदवार पर कोई दण्ड नहीं लगाई गई है ।
4. उम्मीदवार की सत्यनिष्टा प्रमाणीत है ।

(नाम व कार्यालय की मोहर)